इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015—फाल्गुन 29, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2015

क्र. 388.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत राज्य शासन अधिनियम की धारा 27 के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 5-98-एक-सोलह, दिनांक 2 मार्च, 2006 के द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग एक की प्रविष्टि क्रमांक 68 में एवं अधिसूचना क्रमांक 1493-4सी-1-2013-अ-सोलह, दिनांक 22 सितम्बर, 2014 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित) अधिसूचित अनुसूची के भाग एक में प्रविष्टि क्रमांक 70, 71 एवं 72 में न्यूनतम मजदूरी दरों को प्रथमबार निर्धारित करना प्रस्तावित करता है तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये प्रकाशित कर एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो मास की अवधि व्यतीत होने के बाद विचार किया जाएगा.

प्रस्ताव

राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे कॉलम (2) में दी गई अनुसूची के संबंध में कॉलम (3) में दर्शाए नियोजनों के लिये कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों के वर्गों के लिये, कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कॉलम (6) में दर्शाए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें देय किये जाने हेतु प्रथमबार निर्धारित करना प्रस्तावित करता है :—

क्र.	अनुसूची क्रमांक	नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग / श्रेणी	मजदूरी की न्यूनतम दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
				प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	68	दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन.	**उच्च कुशल जैसे**—मेडीकल रिप्रेजेन्टेटिव, कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, सेल्स ऑफीसर, सेल्स प्रमोशन ऑफीसर, एरिया मैनेजर, टेरीटोरी मेनेजर, सेल्स एक्सक्यूटिव्ह, सांईटिफिक ऑफीसर आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकाउंटेंट, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउनकीपर,	8435.00	324.00	-तदैव-
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे—क्लर्क (लिपिक), टाइपिस्ट आदि.	7057.00	271.00	-तदैव-
			कुशल जैसे—अन्य सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्ह आदि.	8435.00	324.00	-तदैव-
			अर्धकुशल	7057.00	271.00	-तदैव-
			अकुशल	5939.00	228.00	-तदैव-
2	70	किसी सफाई कार्य में नियोजन.	**उच्च कुशल जैसे**—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकउंटेंट, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउनकीपर आदि.	8435.00	324.00	-तदैव-
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे—क्लर्क (लिपिक), टाइपिस्ट आदि.	7057.00	271.00	-तदैव-
			कुशल जैसे—मेकेनाइज्ड हाउस कीपिंग, सुपर वाईजर, दरोगा, चालक (भारीवाहन) आदि.	8435.00	324.00	-तदैव-
			अर्धकुशल जैसे—लांड्रीमेन, धोबी, वैक्यूम क्लीनर चालक (हल्के वाहन) जेनीटर, आदि.	7057.00	271.00	-तदैव-
			अकुशल जैसे—सफाई कामगार, स्वीपर, भिश्ती, वाशरमैन, क्लीनर, चौकीदार, भृत्य, मजदूर, हेल्पर आदि.	5939.00	228.00	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
				प्रतिमाह	प्रतिदिन	
3	71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन.	**उच्च कुशल जैसे**—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकउंटेंट, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउनकीपर आदि.	8435.00	324.00	-तदैव-
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे—क्लर्क (लिपिक), टाइपिस्ट आदि.	7057.00	271.00	-तदैव-
			कुशल जैसे—सर्वेयर, गाईड, सुपरवायजर, सार्टर वाइण्डर आदि.	8435.00	324.00	-तदैव-
			अर्धकुशल जैसे—सहायक गाईड, केयर टेकर, मॉड्यूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेयर आदि.	7057.00	271.00	-तदैव-
			अकुशल जैसे—मजदूर, चौकीदार हेल्पर, कुली, सफाई कामगार, भृत्य, लिफ्टर, सुरक्षाकर्मी, आदि.	5939.00	228.00	-तदैव-
4	72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन.	**उच्च कुशल जैसे**—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सलटेंट, सीनियर कन्सलटेंट, टीम मेम्बर टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकउंटेंट, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउनकीपर आदि.	8435.00	324.00	-तदैव-
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे—क्लर्क (लिपिक), टाइपिस्ट आदि.	7057.00	271.00	-तदैव-
			कुशल जैसे—कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपर वाइजर, आदि.	8435.00	324.00	-तदैव-
			अर्धकुशल जैसे—सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर, अटेण्डर आदि.	7057.00	271.00	-तदैव-
			अकुशल जैसे—भृत्य, चौकीदार सफाई कर्मी, सिक्युरिटीगार्ड आदि.	5939.00	228.00	-तदैव-

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता टीप.—उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) जनवरी 2014 से जून 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है. 241 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात के स्तम्भ 5 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल अथवा 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिंदु प्रतिमाह रुपये 25 के हिसाब से की जावेगी और स्तम्भ 5 में दी गई दरों में हुई यह वृद्धि स्तम्भ 6 के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी. एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. इसी प्रकार एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई

भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा. यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा.

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है.

3. अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :—

(क) ''अकुशल कर्मचारी'' वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती. यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है. इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है.

(ख) ''अर्धकुशल कर्मचारी'' वह है जो सामान्यत: रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जायें, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है.

(ग) ''कुशल कर्मचारी'' वह है जो दक्षता पूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सकें तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें. उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है.

(घ) ''उच्च कुशल कर्मचारी'' वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो. काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो. उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है.

4. उक्त अधिसूचना न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी.

5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है. यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे.

6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है.

7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर या इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक व छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो.

8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा.

9. यदि एक से अधिक नियोजन में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.